राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-28/2018
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2019-20) 21

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 8.5.19

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल रूपये 1042.80 लाख (दस करोड बैयालिस लाख अस्सी हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल रूपये 3160.00 लाख (एकतीस करोड साठ लाख) मात्र का उदव्यय प्राप्त है। वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना एवं मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अतिरिक्त समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अन्य प्रक्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु **रूपये 1042.80 लाख (दस करोड बैयालिस लाख अस्सी हजार)** मात्र की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

राशि रू0 लाख में

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	स्वीकृत राशि
1	महिला विकास निगम	0105-31-04	(51-2235021030105)	500.00	165.00
2	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	0107-31-04	(51-2235021060107)	430.00	141.90
3	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	0106-06-01 / 0106-11-01 / 0106-13-01 / 0106-28-02 / 0106-50-01	(51-2235021060106)	1700.00	561.00
4	प्रदर्शनी, सेमिनार एवं सम्मेलन	0106-31-06	(51-2235022000106)	15.00	4.95
5	पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0111-2003	(51-2235021010111)	10.00	3.30
6	पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह का निर्माण		(03-4235020510104)	500.00	165.00
7	भूमि अर्जन	0106-53-02	(51-4235021020106)	5.00	1.65
	कुल योग (दस करोड बैयालिस लाख अस्सी हजार)			**3160.00**	**1042.80**

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई घोषित है। पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

3. महिला विकास निगम हेतु स्वीकृत राशि की निकासी कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0- 3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृ0-26/टि0 पर दिनांक-03.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृ0-26/टि0 पर दिनांक-03.04.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)